

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़

अपील संख्या:-74/2025

पीठासीन अधिकारी:-ओम प्रकाश सहारण (RAS)

रोहिताश पुत्र श्री छाजु जाति अहीर निवासी ग्राम उँछपुर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड़,

राजस्थान

अपीलान्त

बनाम

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड़

रेस्पोडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय द्वारा न्यायालय तहसीलदार बानसूर प्रकरण संख्या 12/2025 बउनवानी सरकार

बनाम रोहिताश बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक 08.08.2025

1. अपीलान्टस वकील:- श्री सुधीर शर्मा, श्री अनुप शर्मा एवं श्री अमित शर्मा
2. रेस्पोडेंट:-पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 29/5/26

अपीलान्त ने न्यायालय तहसीलदार बानसूर जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय 08.08.2025 से व्यथित होकर उसके विरुद्ध अपील पेश की गयी है, जिसमें अपीलान्त द्वारा वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं कि न्यायालय तहसीलदार तहसील बानसूर के द्वारा दिनांक 04.06.2025 को उपस्थित होने के लिए धारा 91 राजस्थान रेवन्यू एक्ट 1956 के अंतर्गत अपीलकर्ता को इस आशय का नोटिस प्राप्त हुआ था कि आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 14.70 हैक्टेयर किस्म चारागाह के ग्राम उँछपुर में रकबा 0.10 हैक्टेयर पर अपीलान्त द्वारा जोत कर नाजायज कब्जा किया हुआ है उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही कर अतिक्रमण को हटाया जावे जिस पर अधिनस्थ प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को जरिये नोटिस तल्ब किये जाने पर अपीलान्त मय अधिवक्ता उपस्थित आकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया खसरा नम्बर 820 बाके मोजा उँछपुर के पडोस में लगता हुआ अपीलान्त की खातेदारी की भूमि है एवं अपीलान्त अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है अपीलान्त द्वारा मौके पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभि.नि. गुंता द्वारा पुनः जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु तहरीर जारी की परन्तु भू अभिलेख अधिकारी गुंता व पटवारी हल्का महनपुर द्वारा बिना आराजी हाल खसरा नम्बर 820 ग्राम उँछपुर व अपीलान्त की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान किये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट दिनांक 28.07.2025 को प्रस्तुत की जिस अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये एवं बिना अपीलान्त का साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिये अपीलान्त के विरुद्ध दिनांक 08.08.2025 को बेदखल किये जाने के आदेश पारित कर अपीलान्त को 25/- रुपये अर्धदण्ड व एक माह का सिविल कारावास किये जाने के आदेश अपीलान्त की अनुपस्थिति में पारित किये जिसकी जानकारी अपीलान्त को दिनांक 29.09.2025 पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाने पर हुयी जिस पर अपीलान्त ने बिना देरी किये अधिनस्थ न्यायालय से उपरोक्त पत्रावली की नकल प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष अपील मय दफा 5 जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की है-

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)


1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2025 विधि विरुद्ध व न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है।
2. यह कि अपीलान्त के विरुद्ध अन्य सह खातेदारान द्वारा गलत रिपोर्ट तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी हल्का ने न तो आराजी हाल खसरा नम्बर 820 वाके मोजा उँछपुर तहसील बानसूर का सीमाज्ञान किया ना ही अपीलान्त की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान किया महज कयास के आधार पर व विपक्षीगण द्वारा की गयी गलत रिपोर्ट के आधार पर पटवारी हल्की द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत अतिक्रमण की रिपोर्ट अपीलान्त के विरुद्ध प्रस्तुत की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई युक्तिमुक्त कारण दर्शित किये अपीलान्त को 25/- रूपये अर्थदण्ड व एक माह सिविल कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि जंहा राजकीय भूमि के समक्ष पक्षकारान की कृषि भूमि हो वहां पटवारी हल्का को अतिक्रमण की रिपोर्ट किये जाने से पूर्व मौके पर राजकीय भूमि व अन्य व्यक्तियों की भूमि का विधिवत सीमाज्ञान किये जाने के पश्चात ही यदि राजकीय भूमि में अतिक्रमण पाये जाने पर ही अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये परन्तु उपरोक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने न तो राजकीय भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 820 वाके मोजा उँछपुर का सीमाज्ञान किया ना ही अपीलान्त की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान किया इस प्रकार पटवारी हल्का ने कानून के विपरीत जाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार महोदय ने कानून के मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना करते हुये विधि विरुद्ध जाकर उपरोक्त निर्णय पारित करने की भारी भूल की है।
4. यह कि तहसीलदार महोदय के समक्ष अपीलान्त द्वारा मोके पर सीमाज्ञान किये जाने का निवेदन किये जाने पर तहसीलदार महोदय ने भू अभिलेख अधिकारी गुंता से पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश पारित किये थे परन्तु भू अभिलेख अधिकारी गुंता ने बिना मौके पर सीमाज्ञान किये गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये एवं बिना सीमाज्ञान करवाये अपीलान्त को बेदखल कर 25/- रूपये के अर्थदण्ड व एक माह के सिविल कारावास से विधि विरुद्ध जाकर आदेश पारित करने की भारी भूल की है।
5. यह कि महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह अंकन करने पर कि अपीलान्त पाश्चावर्ती अतिकमी है एवं उपरोक्त बिना कोई सबुत के आधार पर की गयी गलत रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश पारित करने की भारी भूल की है।
6. यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा बयान दिये जाने हेतु उपस्थित होने पर अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया गया जबकि कानूनन पटवारी हल्का द्वारा की गयी रिपोर्ट पर अपीलान्त को जिरह का अवसर दिया जाना आवश्यक था. परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना करते हुये विधि विरुद्ध जाकर उपरोक्त आदेश पारित करने की भारी भूल की है।
7. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2025 अपीलान्त की अनुपस्थिति में व बिना अपीलान्त की जानकारी के पारित किया गया है ऐसी सुरत में अपीलान्त को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी पूर्व में कतई नहीं थी अपितु दिनांक 29.09.2025 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाने पर हुयी जिस पर अपीलान्त ने बिना देरी किये अधिनस्थ न्यायालय से उपरोक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील मय दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।
8. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनने व तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को हांसिल है।
9. यह कि अपील नियत कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।
10. यह कि अपील के अन्य तथ्यवरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे।
11. अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्तगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2025 प्रकरण संख्या 12/2025 बउनवानी

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरीड)

सरकार बनाम रोहिताश बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट को खारीज किये जाने की कृपा करे।

12. अपील प्राप्त होने पर इसे नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज किया गया। तत्पश्चात, रेस्पोजेन्ट को सम्मन/नोटिस जारी कर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया तथा विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
13. वकील अपीलान्ट ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो विवादित भूमि की कोई आधिकारिक पैमाइश करवाई और न ही अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अपीलान्ट अपनी निजी खातेदारी भूमि का वैध स्वामी एवं काबिज काश्तकार है। पूर्व में ही यह निवेदन किया गया था कि यदि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पैमाइश के दौरान सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो वह उसे स्वतः हटा लेगा, किंतु वर्तमान में मौके पर कोई भी अतिक्रमण शेष नहीं है, जिसकी पुष्टि फर्द मौका बेदखली की रिपोर्ट से भी प्रमाणित होती है। अतः इन तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2025 को पारित मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय निरस्त करने की कृपा करें।
14. पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 14.70 हैक्टेयर किस्म चारागाह के ग्राम उँछपुर में रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। उक्त अतिक्रमण प्रमाणित पाए जाने के आधार पर ही बेदखली एवं दण्ड के आदेश पारित किए गए हैं, जो पूर्णतः विधि सम्मत हैं। अप्रार्थी/अपीलान्ट बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है इसलिए अपीलान्धीन आदेश बहाल रखा जाना योग्य है। अतः अपील खारिज फरमावें।
15. हमने उभय पक्षों की बहस एवं कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं तहसीलदार बानसूर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलान्ट एवं उनके योग्य अधिवक्ता अनुसार पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका देखे बिना पैमाइश किये मात्र कयास के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट के विरुद्ध झुंठी अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुने बिना तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं दस्तावेजात पर गौर नहीं कर निर्णय पारित कर अपीलान्ट के बेदखली पैनल्टी जमा कराने के साथ-साथ पश्चातवृत्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये हैं। वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। जो फर्द मौका बेदखली ग्राम उँछपुर की रिपोर्ट से प्रमाणित है। चूंकि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक माह के सिविल कारावास से दंडित किया है इसलिए इस चेतावनी के साथ सजा माफ कि जाती है कि भविष्य में सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर के शेष आदेश बेदखली पैनल्टी आदि सभी यथावत रहेगे।

निर्णय आज दिनांक 29.9.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अतिरिक्त जिला कालेक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरीड़)